डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2019/HQ/Admin/RTI-613 New Delhi: 09.09.2019

Shri Thakur Mallah
S/o Sh. Ghurafekan Malah,
Gram-Chehariya, Post- Durgawati,
Chahria, Kaimur (Bhabua),
Durgawati, Bihar-821105
Mobile-9931847072

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 24.07.19 received in this office on 03.09.19.

In continuation to this office letters of even number dated 04.09.19 Information i. r. o. your RTI application as received is attached. Your appeal is under consideration for disposal.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर
स्वर्णा कॉम्पलेक्स, 2nd फ्लोर, सुसुवाही, पोस्ट – सुसुवाही (नियर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया), थाना–लंका, वराणसी–221011

No.MGS/EN/Land-Kaimur/Part-IV/10 Dated- 09.08.2018

सक्षम पदाधिकारी–सह–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

विषयः- कुल्हड़िया में भवनों का पुनः मूल्यांकन के संबंध में।

संदर्भ– i)डी.एफ.सी.सी.आई.एल कारपोरेट कार्यालय का पत्रांक 2016/HQ/PIO/RTI-229 दिनांक 29.08.2016

उपरोक्त संदर्भ में भवनों का पुनः मूल्यांकन के लिए भवनों का मूल्य ह्रास सम्मिलित करने के संबंध में पूर्व में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कैमूर को अवगत कराया जा चुका है।

डी.एफ.सी.सी.आई.एल कारपोरेट कार्यालय के पत्रांक संदर्भ (i) में यह अंकित किया गया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित पात्रता सारणी (Entitlement Matrix) के Note(D) के अनुसार मूल्य ह्रास के बिना (without depreciation) भवनों का मूल्यांकन किया जायेगा।

अतः आपसे आग्रह है कि ग्राम कुल्हड़िया का पुनः मूल्यांकन में बिना मूल्य ह्रास के मुआवजा बनाया जाए ताकि प्रभावित कास्तकारों को अतिशीघ्र मुआवजा मिल सके एवं परियोजना का कार्य समय पर पूर्ण हो पायें।

संलग्नक–यथोक्त

9/8/18
(अजित कुमार मिश्र)
मुख्य परियोजना प्रबंधक
मुगलसराय

1252

डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
स्वर्णा कॉम्पलेक्स, 2nd फ्लोर, सुसुवाही, पोस्ट – सुसुवाही
(यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के पास), थाना–लंका, वाराणसी–221011
Phone: 0542-2570122, **Email:** cpmmgs@gmail.com

No.MGS/EN/RTI/77

Dated – 10.08.2019

श्री ठाकुर मल्लाह,
ग्राम – बहेरा, चहेरियां
पोस्ट–दुर्गावती, जिला – कैमूर
बिहार – 821105

विषय– जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना।

संदर्भ– आवेदक श्री ठाकुर मल्लाह, ग्राम – बहेरा, चहेरियां पोस्ट–दुर्गावती, जिला – कैमूर, बिहार – 821105 दिनांक 24.07.2019 का आवेदन पत्र (जो हमारे कार्यालय में 30.07.2019 को प्राप्त हुआ है)।

उपरोक्त संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा वर्णित भू–अर्जन कार्यालय के सभी पत्रों (यथा 477/भू0अर्जन एवं 478/भू0अर्जन दिनांक 02.07.2018 एवं अन्य पत्र इत्यादि) के जवाब में डी.एफ.सी.सी. आई.एल द्वारा निर्णय लेते हुए भू–अर्जन पदाधिकारी, कैमूर को विभिन्न पत्र (यथा MGS/EN/Land Kaimur/Pt.IV/10 दिनांक 09.08.2018 एवं अन्य पत्र इत्यादि) लिखा जा चुका है कि ग्राम कुलहडिया, थाना संख्या 2 अन्तर्गत अंचल दुर्गावती जिला कैमूर में अर्जित की गई भूमि पर बने भवन संरचना का मूल्यांकन बिना मूल्य ह्रास से किया जाये।

जहाँ तक भू–अर्जन कार्यालय के पत्र में वर्णित अन्य बिन्दुओं (कन्डिकाओं) पर डी.एफ.सी.सी.आई. एल. के निर्णय की बात है तो उस संबंध में कहना है कि कुल्हड़िया ग्रामवासीयों ने इन्ही सब बिन्दुओं को आधार बनाकर माननीय आर्विट्रेटर महोदय, पटना के यहाँ वाद संख्या 08/2018 दाखिल किया था, जिसे माननीय आर्विट्रेटर महोदय, पटना द्वारा दिनांक 28.08.2018 को निरस्त कर दिया गया। आर्विट्रेटर महोदय के निर्णय के पश्चात डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के निर्णय का कोई औचित्य नही है।

संलग्नक–यथोक्त

10/8/19
सहायक परियोजना प्रबंधक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल./मुगलसराय

16-8-19